ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मुच्छाली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय शर्मा	01.04.2021 से 31.03.2023

पंचायत सचिवः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री देवराज शर्मा	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	71.14
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.70
3)	7.2	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	0.15
4)	7.3	दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष	0.85
5)	7.4	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.07
6)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय	17.18
7)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	3.63
8)	8.3	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	0.71
9)	8.4	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.28
10)	9	निर्माण कार्य पर अधिक व्यय करना	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
2.	पैरा-4	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
3.	पैरा-4.1	अनिर्णीत।	

4.	पैरा-4.2	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-5	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
6.	पैरा-6	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
7.	पैरा- 7.1 (क व ख)	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
8.	पैरा-7.2	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
9.	पैरा-7.3	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-9	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।
12.	पैरा-10	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
13.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-12	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
15.	पैरा-13	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।
16.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-15	निर्णीत	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
18.	पैरा-16	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अशवनी कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा दिनांक 23.12.2023 से 01.01.2024 तक ग्राम पंचायत मुच्छाली के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	08/2021	07/2021
2022-23	07/2022	05/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281080 दिनांक 06/01/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मुच्छाली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान छः रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), अनुदान (प्लानिंग शीर्ष), स्वच्छ भारत मिशन, 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग, व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2021-22	4600739.25	12649163	17249902.25	11122506	6127396.25
1	2022-23	6127396.25	22472979	28600375.25	21486670	7113705.25

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मुच्छाली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹14/-** था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	7113705.25
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**7113668.40**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	50.85
4)	**योग (2+3)**	**7113719.25**
5)	**अन्तर (4-1)**	**14.00**

अंतर के कारण :- माह 05/2022 में 14वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में बैंक द्वारा ₹14/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	KCCB Bangana (sabha fund)	20034021206	1630259.45
	KCCB Bangana (GIA)	20034056228	3292472.95
	KCCB Bangana (SBM)	50066734273	0.00
	KCCB Bangana (14th fc)	50067108143	14.00
	PNB Bangana (15th FC)	6809001700019863	2190922.00
		योग	**7113668.40**
2		**हस्तगत राशि**	50.85
		योग (1+2)	**7113719.25**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय-व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/21 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹71.14 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹7113705.25** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के

स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.70 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 1/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹70100/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2021-22	2250	33350	35600	0	35600
2022-23	35600	34500	70100	0	70100

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 मोबाइल टावर शुल्क ₹0.15 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को **निम्न विवरणानुसार** मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क **₹15000/-** वसूली हेतु शेष थी जिसे सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 व Right of way policy–2021 से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या: DIT-FO5(23)/1/2017-I.T.Section–GOHP, दिनांक 09.02.2021 के अनुसार वसूल किया जाना अपेक्षित है। अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | अत: मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	**कम्पनी का नाम**	**दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)**
1)	Airtel 1	5000
2)	JIO 1	5000
3)	IDEA 1	5000
	कुल योग	**15000**

7.3 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.85 लाख की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 316/2023 दिनांक 04.12.2023 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - घ**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹85498/- वसूली हेतू शेष थी | अत: दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत यह राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	79978	206130	286108	218543	67565
2022-23	67565	191916	259481	173983	85498

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹7200/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2021-22	4400
2	2022-23	2800
	योग	**7200/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 374/2023 दिनांक 28.12.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹17.18 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **निम्न विवरणानुसार** पंचायत द्वारा **₹1718075.3** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: ग्राम पंचायत द्वारा किया गया उक्त भुगतान पूर्ण रूपेण अनियमित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2023 दिनांक 30/12/2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 01/01/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे विकास खण्ड बंगाणा के उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है |

क्रम सं0	शीर्ष का नाम	फर्म का नाम व पता	बिल संख्या	भुगतान की तिथि	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	102	06/07/21	सरिया	42067
2	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	103	06/07/21	सरिया	49075
3	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	104	06/07/21	सरिया	49934
4	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	105	06/07/21	सरिया	38796
5	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	14	06/07/21	सरिया	5954
6	मनरेगा	BABA SHRI CHAND JI HARDWARE STORE	88	23/05/22	FLOOR TILES	14602.5

		BANGANA				
7	मनरेगा	BABA SHRI CHAND JI HARDWARE STORE BANGANA	89	23/05/22	FLOOR TILES	3894
8	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	623	24/05/22	सरिया	49474.9
9	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	624	24/05/22	सरिया	49495.9
10	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	625	24/05/22	सरिया	49376.8
11	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	627	24/05/22	सरिया	49807.2
12	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	628	24/05/22	सरिया	48550.9
13	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	629	24/05/22	सरिया	49492.4
14	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	630	24/05/22	सरिया	43506.5
15	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	631	24/05/22	सरिया	49492.4
16	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	632	24/05/22	सरिया	49494.2
17	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	633	24/05/22	सरिया	49595.6
18	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	634	24/05/22	सरिया	41887.3
19	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO.	635	24/05/22	सरिया	49496.8

		BANGANA				
20	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	636	24/05/22	सरिया	49789.1
21	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	637	24/05/22	सरिया	36126.6
22	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	638	24/05/22	सरिया	49719
23	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	639	24/05/22	सरिया	49719
24	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	640	24/05/22	सरिया	49719
25	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	641	24/05/22	सरिया	45483
26	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	642	24/05/22	सरिया	42126
27	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	643	24/05/22	सरिया	50208.4
28	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	644	24/05/22	सरिया	41088
29	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	645	24/05/22	सरिया	52890
30	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	646	24/05/22	सरिया	44925.1
31	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	647	24/05/22	सरिया	32989.6
32	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	1201	24/05/22	सरिया	127549.6

33	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	1202	24/05/22	सरिया	130199.8
34	मनरेगा	M/S PANKAJ TRADING CO. BANGANA	1203	24/05/22	सरिया	131549.7
					योग	**1718075.3**

8.2 ₹3.63 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **₹363000/-** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 375/2023 दिनांक 28.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 01/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	मनरेगा	31	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	44000.00

2	मनरेगा	32	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	44000.00
3	मनरेगा	33	07/21	2000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	22000.00
4	मनरेगा	36	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	44000.00
5	मनरेगा	37	07/21	4000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	44000.00
6	मनरेगा	38	07/21	2000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	22000.00
7	मनरेगा	167	05/22	4000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	44000.00
8	मनरेगा	146	05/22	3000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	33000.00
9	मनरेगा	147	05/22	3000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	33000.00
10	मनरेगा	213	05/22	3000 टाईल / पेवर @ 11/- प्रति टाईल	33000.00
				कुल योग	**363000/-**

8.3 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.71 लाख रॉयल्टी की कटौती को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार बनती दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **सलंग्न परिशिष्ट-ड० अनुसार** वर्ष 2021-22 हेतु ₹51000/- व 2022-23 हेतु ₹20000/- कुल ₹71000/- की राशि रॉयल्टी के रूप में आपूर्तिकर्ताओं से वसूली की गई थी, जिसे सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाकर पंचायत निधि लेखे में ही रखा गया था | अत: इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 376/2023 दिनांक 28.12.2023 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 01/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में वसूल की गई राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral

Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवा दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः रॉयल्टी के रूप में वसूल की गई सम्पूर्ण राशि को सम्बन्धित विभाग में यथाशीघ्र जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

8.4 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.28 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह 05/2022 में आपूर्तिकर्ता पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट च** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1400712/-** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹28014/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है | अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 380/2023 दिनांक 28/12/2023 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 03 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹28014/- जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निर्माण कार्य पर ₹0.04 लाख का अधिक व्यय करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 के चयनित माह 05/2022 में **निम्न विवरणानुसार** 15वें वित्तायोग शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य **C/o Link road from H/o Dev Raj Tahliwalian Village Bout** के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री, बजरी को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹**3925/-** का अधिक व्यय किया गया था।

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**बजरी (घन मीटर)**
8689 45	CC 1:4:8	16.03	14.26
46	CC 1:2:4	6.30	5.60
	योग		**19.86**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 45 द्वारा जारी / खपत मात्रा		**23.00**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		**3.14**
	क्रय दर		1250 / प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान(3.14×1250)		**3925/-**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378/2023 दिनांक 28/12/23 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2023 दिनांक 01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक व्यय की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 891743 दिनांक 30/12/2023 द्वारा सम्बन्धित से करके राशि बैंक में जमा करवा दी गई है।

9.2 माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत

द्वारा चयनित माह 07/2021 व 05/2022 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**कार्य का नाम**
1	अनुदान प्लानिंग शीर्ष	रिहायशी क्वाटरों की मुरम्मत स्टाफ रिहाइश
2	अनुदान प्लानिंग शीर्ष	निर्माण सामुदायिक भवन पंचायत घर
3	मनरेगा	C/O RAIN SHELTER / CYCLONE CENTRE NEAR GOUSADAN
4	मनरेगा	C/O CHAINALIZATION NALA NEAR BANTA, JAGDEV ETC

उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 379/2023 दिनांक 28/12/2023 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जाँच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 366/2023 दिनांक 23.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	8	34
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1) (ए व बी)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2023 दिनांक 23.12.2023 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 01/2024 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/21 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

04 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

1146 – 1150

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल०ए०)एच(पंच)(xv)(5)03/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 MAR 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

पैरा संख्या 5 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश						
संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	4600739.25	12649163	17249902.25	11122506	6127396.25
2	2022-23	6127396.25	22472979	28600375.25	21486670	7113705.25

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत मुच्छाली, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्रोत व अनुदान (समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	2720473.8	993166	3713639.8	506506	3207133.8
2	2022-23	3207133.8	1088545	4295678.8	1003155	3292523.8

अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	1132139.45	3021264	4153403.45	3670172	483231.45
2	2022-23	483231.45	4378963	4862194.45	3231935	1630259.45

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	131384	3141680	3273064	2236911	1036153
2	2022-23	1036153	3854449	4890602	4890602	0

15वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	576836	1534177	2111013	710135	1400878
2	2022-23	1400878	1661386	3062264	871342	2190922

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	0	3957665	3957665	3957665	0
2	2022-23	0	11489636	11489636	11489636	0

14वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2021-22	39906	1211	41117	41117	0

सचिव-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	7113705.25
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**7113668.40**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	50.85
4)	**योग (2+3)**	**7113719.25**
5)	**अन्तर (4-1)**	**14.00**

अंतर के कारण :- माह 05/2023 में 14वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में बैंक द्वारा ₹14/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया।

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible] (हि०प्र०)

परिशिष्ट क-1)

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Bangana (sabha fund)	20034021206	1630259.45
	KCCB Bangana (GIA)	20034056228	3292472.95
	KCCB Bangana (SBM)	50066734273	0.00
	KCCB Bangana (14th fc)	50067108143	14.00
	PNB Bangana (15th FC)	6809001700019863	2190922.00
		योग	**7113668.40**
2		**हस्तगत राशि**	50.85
		योग (1+2)	**7113719.25**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुरुहाली
वि.ख. बंगाणा, ऊना (हि०प्र०)

पैरा संख्या 7.1 क में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ख'

ग्राम पंचायत मुच्छाली विकास खंड बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

दिनाकं 31/03/23 तक गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि

क्रम संख्या	गतशेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंतिम शेष
2021-22	2250	33350	35600	0	35600
2022-23	35600	34500	70100	0	70100

सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली

पैरा संख्या 7.2 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ग'

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

2021-22

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2021	Due for the year 2021-22	Total	Rental realized during 2021-22	Outstanding as on 31.03.2022
1	Airtel 1	00	5000	5000	00	5000
2	JIO 1	00	5000	5000	00	5000
3	IDEA 1	00	5000	5000	00	5000
	Total		**15000**	**15000**		**15000**

नोट:- दिनांक 31.03.2021 तक ग्राम पंचायत द्वारा मोबाइल टावरों के शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 01.04.2021 को कितना मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष था, की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी।

2022-23

Sr. No	Tower company / No. of tower	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-223	Outstanding as on 31.03.2023
1	Airtel 1	5000	00	5000	00	5000
2	JIO 1	5000	00	5000	00	5000
3	IDEA 1	5000	00	5000	00	5000
	Total	**15000**		**15000**		**15000**

Note: - Annual Demand for 2022-23 is nil due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy, 2021 notified by I.T Department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Gram Panchayat.

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुखरानी
विकास खण्ड [illegible] (हि०प्र०)

पैरा संख्या 7.3 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'घ'

ग्राम पंचायत मुच्छाली विकास खंड बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/23 तक दुकान किराये के रूप में वसूली हेतु शेष किराये का विवरण

क्रम संख्या	गतशेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंतिम शेष
2021-22	79978	206130	286108	218543	67565
2022-23	67565	191916	259481	173983	85498

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
विकास खंड बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

List Of Outstanding Shop Rent Period 04/21 to 3/22 in R/O Gram Panchayat Muchhali Block Bangana

Sr. No	Shop No	Name Of Tenant	Opening Balance	Demand During the Year	Total	Collection During the Year	Closing Balance
1	1	Satish Kumar s/o Sukhram	2127.00	9360.00	11487.00	11487.00	0.00
2	2	Ramesh chand s/o devraj	0.00	11436.00	11436.00	8577.00	2859.00
3	3	Madan lal s/o birbal	0.00	10740.00	10740.00	9845.00	895.00
4	4	Vijay Kumar s/o Roop Lal	14446.00	10044.00	24490.00	16000.00	8490.00
5	5	Pram Chand s/o Jagtram	2049.00	9012.00	11061.00	7510.00	3551.00
6	6	Surjeet s/o Rattan chand	0.00	10392.00	10392.00	544.00	9848.00
7	7	Sukhdev s/o Birbal	1576.00	10392.00	11968.00	8000.00	3968.00
8	8	Raman Kumar s/o Omprkash	8150.00	15240.00	23390.00	20000.00	3390.00
9	9	Reeta devi w/o Ganesh datt	2000.00	12600.00	14600.00	12500.00	2100.00
10	10	Gurpreet Singh s/o Jeewan Singh	0.00	11340.00	11340.00	9100.00	2240.00
11	11	Asha devi w/o Pawan kumar	2000.00	12600.00	14600.00	12500.00	2100.00
12	12	Sarojni d/o Pritam chand	1800.00	22680.00	24480.00	22590.00	1890.00
13	13	Sarojni d/o Pritam chand	1800.00	22680.00	24480.00	22590.00	1890.00
14	14	Kapil Sharma	2000.00	25200.00	27200.00	25100.00	2100.00
15	15	Ranveer Rana	40830.00	10014.00	50844.00	30000.00	20844.00
16	16	Jaspal	1200.00	2400.00	3600.00	2200.00	1400.00
		TOTAL	79978.00	206130.00	286108.00	218543.00	67565.00

नोट:- रणवीर राणा माह 9/2021 को दुकान खाली कर गया है

सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली
विकास खण्ड बंगाणा ऊना (हि०प्र०)

List Of Outstanding Shop Rent Period 04/22 to 3/23 in R/O Gram Panchayat Muchhali Block Bangana							
Sr. No	Shop No	Name Of Tenant	Opening Balance	Demand During the Year	Total	Collection During the Year	Closing Balance
1	1	Satish Kumar s/o Sukhram	0.00	9360.00	9360.00	9360.00	0.00
2	2	Ramesh chand s/o devraj	2859.00	11436.00	14295.00	12440.00	1855.00
3	3	Madan lal s/o birbal	895.00	10740.00	11635.00	10740.00	895.00
4	4	Vijay Kumar s/o Roop Lal	8490.00	10044.00	18534.00	11000.00	7534.00
5	5	Pram Chand s/o Jagtram	3551.00	9012.00	12563.00	9763.00	2800.00
6	6	Surjeet s/o Rattan chand	9848.00	10392.00	20240.00	8000.00	12240.00
7	7	Sukhdev s/o Birbal	3968.00	10392.00	14360.00	3900.00	10460.00
8	8	Raman Kumar s/o Omprkash	3390.00	15240.00	18630.00	12000.00	6630.00
9	9	Reeta devi w/o Ganesh datt	2100.00	12600.00	14700.00	10500.00	4200.00
10	10	Gurpreet Singh s/o Jeewan Singh	2240.00	11340.00	13580.00	6000.00	7580.00
11	11	Asha devi w/o Pawan kumar	2100.00	12600.00	14700.00	12600.00	2100.00
12	12	Sarojni d/o Pritam chand	1890.00	22680.00	24570.00	20790.00	3780.00
13	13	Sarojni d/o Pritam chand	1890.00	22680.00	24570.00	20790.00	3780.00
14	14	Kapil Sharma	2100.00	21000.00	23100.00	23100.00	0.00
15	15	Ranveer Rana	20844.00	0.00	20844.00	0.00	20844.00
16	16	Jaspal	1400.00	2400.00	3800.00	3000.00	800.00
		TOTAL	67565.00	191916.00	259481.00	173983.00	85498.00

नोट:- कपिल शर्मा ने माह 2/2023 को दुकान खाली कर दी है

सचिव
ग्राम पंचायत मुच्छाली

पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ङ'

दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2022 तक रॉयलटी के रूप में वसूली गई राशि का व्यौरा

क्र०सं०	फर्म का नाम	रसीद संख्या	दिनांक	रॉयलटी की राशि
1	M S Sharma Construction Co.	891540	19-02-22	3000
2	M S Sharma Construction Co.	891541	22-03-22	28000
3	Shiva stone	891556	23-02-22	20000
कुल योग				51000

दिनांक 01/04/02022 से 31/03/2023 तक रॉयलटी के रूप में वसूली गई राशि का व्यौरा

क्र०सं०	फर्म का नाम	रसीद संख्या	दिनांक	रॉयलटी की राशि
1	M S Sharma Construction Co.	891568	06/05/22	7000
2	M S Sharma Construction Co.	891576	06/09/22	3000
3	Shiva stone	891591	04/06/22	5000
4	Shiva stone	891609	25/07/22	5000
कुल योग				20000

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुछाली
[illegible] (हि०प्र०)

पैरा संख्या 8.5 में सन्दर्भित परिशिष्ट 'च'

दिनांक 01/04/2022 से 31/03/3023 ~~तक~~ के चयनित माह 05/2022 में पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा को किया गया भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनाकं	राशि
1	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	04	5/2022	576	15/04/2022	35011
2	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	05	5/2022	577	16/04/2022	41595
3	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	06	5/2022	580	17/04/2022	43005
4	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	179	5/2022	623	15/02/2022	41929
5	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	180	5/2022	624	15/02/2022	41946
6	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	181	5/2022	625	15/02/2022	41845
8	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	182	5/2022	627	15/02/2022	42210
9	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	183	5/2022	628	15/02/2022	41145
10	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	184	5/2022	629	15/02/2022	41943
11	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	185	5/2022	630	15/02/2022	36871
12	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	186	5/2022	631	15/02/2022	41943
13	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	187	5/2022	632	15/02/2022	41945
14	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	188	5/2022	633	15/02/2022	42030
15	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	189	5/2022	634	15/02/2022	35498
16	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	190	5/2022	635	15/02/2022	41947
17	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	191	5/2022	636	15/02/2022	42196
18	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	192	5/2022	637	15/02/2022	30617
19	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी	193	5/2022	638	15/02/2022	42135

	बंगाणा					
20	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	194	5/2022	639	15/02/2022	42135
21	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	195	5/2022	640	15/02/2022	42135
22	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	196	5/2022	641	15/02/2022	38545
23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	197	5/2022	642	15/02/2022	35700
24	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	198	5/2022	643	15/02/2022	42550
25	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	199	5/2022	644	15/02/2022	34820
26	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	200	5/2022	645	15/02/2022	44822
27	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	201	5/2022	646	15/02/2022	38074
28	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	202	5/2022	647	15/02/2022	27958
29	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	172	5/2022	1201	28/01/2022	107500
30	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	171	5/2022	1202	28/01/2022	109794
31	पंकज स्टील ट्रेडिंग कम्पनी बंगाणा	170	5/2022	1203	28/01/2022	110868
					योग	**1400712/-**

पंचायत-सचिव
ग्राम पंचायत पुखरली
वि० खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि०प्र०)